राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की तृतीय बैठक
(दिनांक 12.07.2023)

<u>कार्यवाही विवरण</u>

म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की तृतीय बैठक माननीय मंत्रीजी पर्यावरण विभाग म. प्र. शासन एवं अध्यक्ष राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 12-07-2023 को एप्को के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है –

1. श्री हरदीप सिंह डंग, माननीय मंत्री जी पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन – **अध्यक्ष**
2. श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, पर्यावरण विभाग – **सदस्य**
3. श्री धनंजय सिंह भदौरिया, सचिव (प्रतिनिधि - अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास) –**सदस्य**
4. श्री अतुल कुमार मिश्रा, सचिव, वन विभाग (प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वन विभाग) –**सदस्य**
5. श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव (प्रतिनिधि – प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग) – **सदस्य**
6. श्री अनुराग चौधरी, अपर सचिव (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग) –**सदस्य**
7. श्री अभिलाष खाण्डेकर, वरिष्ठ पर्यावरणविद् - **सदस्य**
8. श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति, सेवा निवृत्त, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - **सदस्य**
9. श्री चन्द्र मोहन सिंह ठाकुर, सदस्य सचिव, म. प्र. पदूषण नियंत्रण बोर्ड - **सदस्य**
10. श्री विवेक श्रोत्रिय, अपर प्रबंध संचालक (प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग) – **सदस्य**
11. श्री हर्षल पंचोली, उप सचिव (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग) – **सदस्य**
12. श्री जी. पी. सोनी, मुख्य अभियंता (प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग) – **सदस्य**
13. डॉ. सुभाष सिंह, विषय विशेषज्ञ, भूजल वैज्ञानिक – **सदस्य**
14. श्री सौरभ पोपली, विषय विशेषज्ञ, लैण्डस्केप प्लानिंग SPA – **सदस्य**
15. डॉ. एच. वी. सी. चारी, वैज्ञानिक–ई (प्रतिनिधि- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल) - **सदस्य**
16. डॉ. सुनील कुमार नायक, विषय विशेषज्ञ, मत्स्य विज्ञान – **सदस्य**
17. श्री बकुल लाड़, सहा. सदस्य सचिव (प्रतिनिधि- सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड) - **सदस्य**
18. डॉ. कपिल खरे, वरि. प्रधान वैज्ञानिक (प्रतिनिधि– महानिदेशक, म.प्र. विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी परिषद्) – **सदस्य**
19. श्री मुजीबुर्रहमान खान, कार्यपालन संचालक, एप्को - **सदस्य सचिव**

बैठक के आरंभ में कार्यपालन संचालक, एप्को एवं सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण ने प्राधिकरण के अध्यक्ष, माननीय पर्यावरण मंत्री जी एवं सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। सम्मानीय सदस्यों द्वारा परस्पर परिचय पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा तृतीय बैठक की कार्यसूचीवार प्रस्तुतीकरण किया गया।

17/8

बैठक में संपन्न कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

एजेण्डा - 3.1 द्वितीय बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की द्वितीय बैठक दिनांक 01.02.2022 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत किया गया।

निर्णय - माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों की प्रथम बैठक कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा -3.2 द्वितीय बैठक के निर्देशों का पालन प्रतिवेदन

राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की द्वितीय बैठक के निर्देशों के पालन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन से प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत किया गया।

निर्णय– पालन प्रतिवेदन का प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा – 3.3 महत्वपूर्ण कार्यों का प्रस्तुतीकरण

राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की द्वितीय बैठक (01.02.2022) के उपरांत प्राधिकरण द्वारा किये गए महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त विवरण माननीय अध्यक्ष एवं सभी सम्मानित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय मंत्री जी एवं अध्यक्ष महोदय तथा सभी सदस्यों ने द्वितीय बैठक के उपरांत प्राधिकरण द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों एवं प्राप्त उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया।

निर्णय - महत्वपूर्ण कार्यों से प्राधिकरण के सदस्य अवगत हुए।

एजेण्डा–3.4 प्राधिकरण के समस्त न्यायालयीन प्रकरण एवं प्राप्त शिकायतों की वस्तुस्थिति से अवगत करना।

प्रदेश में स्थित वेटलैंड्स, तालाबों से सम्बंधित माननीय उच्च न्यायालय में 03 प्रकरण एवं माननीय NGT, भोपाल में 06 विचाराधीन प्रकरणों तथा भोज वेटलैंड, भोपाल एवं अन्य तालाबों से संबंधित शिकायतों की में वेटलैंड नियम 2017 के परिपालन संबंधी 44 अलग-अलग शिकायत/ज्ञापन/आवेदनों के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण को वस्तुस्थिति से अवगत किया गया। प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा लंबित शिकायतों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित संस्थाओं के प्रमुख को अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित करने हेतु कहा गया।

प्राधिकरण की अगली बैठक में भोज वेटलैण्ड, भोपाल से संबंधित अधिक शिकायतें होने के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वस्तुस्थिति से अवगत करने हेतु आयुक्त, नगर निगम, भोपाल को प्राधिकरण की बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. WP 230/2001 एम. के. बालाकृष्णन् विरूद्ध भारतीय संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.10.2017 के पालन के संदर्भ में MoEFCC, भारत सरकार के Office Memorandum दिनांक 08.03.2022 के अनुसार भारत सरकार द्वारा इसरो के सहयोग से तैयार वेटलैण्ड इन्वेन्ट्री (National Wetland Inventory and Assessment 2011)

जिसमें 2.25 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के वेटलैण्ड्स सूचीबद्ध हैं, पर वेटलैण्ड नियम 2017 की धारा 4(2) में उल्लेखित प्रावधान लागू होंगे।

म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा MPSEDC के सहयोग से प्रदेश के वेटलैण्ड्स की 2.25 हैक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल की जिलेवार सूची तैयार की गयी है जिसमें 15152 वेटलैण्ड्स हैं। माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश तथा भारत सरकार के उपरोक्त OM दिनांक 08.03.2022 के अनुसार राज्य की वेटलैंड इन्वेंटरी में शामिल सभी 15152 वेटलैण्ड्स पर वेटलैण्ड नियम 2017 की धारा 4(2) में उल्लेखित प्रावधान लागू होंगे। इस संबंध मे प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि शासन स्तर से सभी जिला कलेक्टर्स को पालन हेतु इस संबंध मे निर्देशित किया जावे।

निर्णय - प्राधिकरण की आगामी बैठक में भोज वेटलैण्ड, भोपाल से संबंधित अधिक शिकायतें होने के संदर्भ में आयुक्त, नगर निगम, भोपाल एवं संबंधित संस्था / विभाग को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए एवं वेटलैण्ड नियम 4(2) में उल्लेखित प्रावधानों का पालन जिला स्तर किया जाए।

एजेण्डा – 3.5 जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति के गठन से संबंधित अद्यतन स्थिति से अवगत करना।

बैठक में सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि प्रदेश के 22 जिलों में जिला कलेक्टर द्वारा अनुवर्ती आदेश जारी कर जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति का गठन किया गया। शेष समस्त जिलों में समिति गठित करने हेतु सतत् समन्वय किया जा रहा है। सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी जिलों में आवश्यक रूप से जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति का गठन एवं क्रियाशील हो इस हेतु,यथोचित प्रयास किये जाये।

निर्णय - जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति की अद्यतन स्थिति से सदस्य अवगत हुए।

एजेण्डा -3.6 NPCA कार्यक्रम अंतर्गत वेटलैण्ड संरक्षण एवं प्रबंधन की स्वीकृत योजनाओं (धार वेटलैण्ड कॉम्प्लेक्स, धार एवं गिरवर तालाब, शाजापुर) के संबध में अवगत करना।

National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems (NPCA) योजनांतर्गत, धार वेटलैण्ड कॉम्प्लेक्स (धूप सागर, देवी सागर एवं मुंज सागर) राशि रू. 37.14 करोड़ तथा गिरवर तालाब, शाजापुर राशि रू. 06.68 करोड़ की 05 वर्षीय एकीकृत प्रबंधन परियोजनाओं की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन दोनों परियोजनाओं का क्रियान्वयन नगरीय निकायों द्वारा किया जाना है।

निर्णय - प्राधिकरण के मान. अध्यक्ष एवं सदस्य परियोजनाओं की स्वीकृति से अवगत हुए।

एजेण्डा 3.7 तीन नवीन रामसर साइट्स (साख्य सागर, शिवपुरी, सिरपुर एवं यशवंत सागर, इन्दौर)

सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत किया गया कि प्रदेश के 03 वेटलैण्ड्स क्रमशः साख्य सागर, शिवपुरी, सिरपुर एवं यशवंत सागर, इन्दौर को रामसर संधि के अंतर्गत Designate किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा क्रियान्वयन संस्थाओं को रामसर साइट्स के प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

निर्णय - मान. अध्यक्ष महोदय तथा प्राधिकरण के सदस्य अवगत हुए।

17/8

एजेण्डा–3.8 रामसर साइट्स एवं अन्य महत्वपूर्ण वेटलैण्ड्स को अधिसूचित करना।

सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत किया गया कि प्रदेश के चार रामसर साइट्स क्रमशः भोज वेटलैंड भोपाल, साख्य सागर शिवपुरी, सिरपुर वेटलैंड एवं यशवंत सागर इंदौर को अधिसूचित किया जाना प्रक्रिया में है। रामसर साइट्स के अतिरिक्त प्रदेश के 6 वेटलैंड्स जिनके संरक्षण एवं प्रबधन हेतु NPCA योजना सम्मिलित हैं।

भोज वेटलैण्ड, भोपाल का संक्षिप्त प्रतिवेदन, नगर निगम द्वारा तैयार किया जा रहा है। सिरपुर वेटलैण्ड एवं यशवंत सागर, इन्दौर के संक्षिप्त प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त कर तकनीकी समिति को प्रस्तुत किया जावेगा।

सिंध सागर, ईसागढ, अशोकनगर, सागर तालाब, सागर का स्थल निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन प्राप्त, संबधित वेटलैंड एवं ZoI के मानचित्र तैयार, संबंधित नगरीय निकायों द्वारा शीघ्र संक्षिप्त प्रतिवेदन तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत गया कि सिरपुर वेटलैण्ड एवं यशवंत सागर, वेटलैण्ड, इन्दौर के संक्षिप्त प्रवितेदन तैयार करने का कार्य 02 माह में व अन्य वेटलैण्ड्स के संक्षिप्त प्रवितेदन तैयार करने का कार्य 06 माह मे पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय - मान. अध्यक्ष महोदय तथा प्राधिकरण के सदस्यों अवगत अद्यतन स्थिति से चिह्नित वेटलैण्ड्स को अधिसूचित करने संबंधी कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा -3.9 खातियार गिर ईको रीजन, चंबल अभ्यारण्य को रामसर साइट Designate करने का अनुमोदन

सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत किया गया कि वन विभाग, म. प्र. शासन से खातियार गिर ईको रीजन, चम्बल अभ्यारण्य को नवीन रामसर साइट हेतु प्रस्ताव सहमति सहित प्राप्त हुआ है तथा प्राधिकरण से अनुमोदन के पश्चात, खातियार गिर ईको रीजन, चम्बल अभ्यारण्य का नाम व संबंधित संक्षिप्त जानकारी MoEF&CC, भारत सरकार को रामसर संधि के अंतर्गत Designate करने हेतु प्रेषित की जा सकती है।

निर्णय – मान. अध्यक्ष महोदय तथा प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा खातियर गिर ईको रीजन, चंबल अभ्यारण्य को रामसर साइट Designate करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा - 3.10 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा निम्निलखित 02 बिन्दुओं को अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत गया -

I. भोज वेटलैण्ड (छोटा एवं बड़ा तालाब), भोपाल में पैडल बोट, मोटर बोट, क्रूज आदि का संचालन मछुआरा समाज, पर्यटन विकास निगम एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम, भोपाल द्वारा पत्र क्र. 59/आ.क./न.नि.भो./2023 दिनांक 24.03.2023 के माध्यम से भोज वेटलैण्ड में मोटर चलित नावों / क्रूजों आदि को पर्यटन की दृष्टि से विनियमित गतिविधियों के अतर्गत सम्मिलित कर संशोधित आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

   सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत किया गया कि वेटलैण्ड नियम 2017 के परिपालन हेतु पर्यावरण विभाग, राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 16.03.2022 के माध्यम से भोज वेटलैण्ड का ZoI एवं

प्रतिबंधित, विनियमित एवं अनुज्ञात गतिविधियां चिन्हांकित की गयी हैं। वेटलैण्ड नियम 2017 व सहपठित मार्गदर्शिका की कंडिका ix (49) c के अनुसार विनियमित गतिविधियों में गैर-मोटर चलित नावों का संचालित किया जा सकता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी। सदस्यों द्वारा वेटलैण्ड नियम 2017 एवं उसकी वेटलैण्ड नियम मार्गदर्शिका में दिए गए प्रावधानों को शिथिल अथवा परिवर्तित करने संबंधी अधिकार राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को प्रत्यायोजित नहीं है अंत: भोपाल नगर निगम को यथा सूचित किया जाये।

निर्णय - माननीय अध्यक्ष महोदय तथा प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा वेटलैण्ड नियम 2017 तथा वेटलैण्ड मागदर्शिका 2020 तथा राज्य शासन द्वारा जारी आदेश 16.03.2022 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करने की अनुशंसा की गयी।

II. भोपाल की VIP रोड की विस्तारीकरण योजना के संबंध में म. प्र. सडक विकास निगम से पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र के माध्यम से राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण से भोज वेटलैण्ड में सडक विस्तारीकरण हेतु अनुमति चाही गयी है।

सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत किया गया कि भोज वेटलैण्ड पर वेटलैण्ड नियम, 2017 लागू होते हैं। वेटलैण्ड की धारा 04 में उल्लेखित गतिविधियां विशेष रूप से 4 (2) vi के अनुसार वेटलैण्ड में तथा FTL से 50 मीटर की सीमा में किसी स्थायी प्रकृति का निर्माण प्रतिबंधित है। सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत किया गया कि इस प्रकार की विशेष अनुमति संबंधी प्रकरण में निर्णय भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय वेटलैण्ड समिति के द्वारा लिया जाता है। वेटलैंड नियम 2017 एवं नियमों के क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शिका में उपरोक्त नियमों को शिथिल करने एवं यथोचित निर्णय लेने हेतु प्रक्रिया प्रावधानित है, जो निम्नानुसार है -

Permission for carrying out any activity included within the list of prohibited activities [as per Rule 4(2) of Wetlands Rules], within a notified wetland can only be given by the MoEF&CC. A specific request needs to be made by the State Government based on the recommendation of Wetlands Authority specifying:

a. *Activity for which permission is sought;*
b. *Justification thereof;*
c. *The premise on which the activity is not considered detrimental to the wetland's ecological character;*
d. *Supporting evidence-base (such as an expert report, EIA, mitigating measures proposed to be undertaken etc.)*

उपरोक्तानुसार जानकारी भेजने हेतु पत्र क्र. 2272/MPSWA/2023 दिनांक 27.06.2023 के माध्यम से म. प्र. सडक विकास निगम को सूचित किया गया है।

इस प्रकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी एवं सदस्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए।

निर्णय- राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को म. प्र. सड़क विकास निगम से प्राप्त पत्र एवं प्रस्ताव पर्यावरण विभाग, राज्य शासन को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे।

<u>अध्यक्षीय उद्बोधन</u>

प्राधिकरण की बैठक के अंत में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में माननीय पर्यावरण मंत्रीजी ने कहा कि इन वेटलैंड रूपी प्राकृतिक संसाधनों एवं धरोहरों को बचाकर रखना न सिर्फ प्रशासनिक एवं कानूनी कर्तव्य है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व भी है। जब हम-सब साथ मिलकर जिम्मेदार नागरिक होने के इस दायित्व को पूरा करेंगे, तो सही मायनों में इन प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

17/8

माननीय मंत्रीजी द्वारा सभी सम्माननीय सदस्यों को उपस्थित होने एवं चर्चा में लाये गये सभी विषयों पर सार्थक विचार-विमर्श करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए कि प्राधिकरण की आगामी बैठक 15 अगस्त 2023 के बाद शीघ्र ही आयोजित की जाए। राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने प्राधिकरण द्वारा अभी तक किये गए कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।

राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष एवं सम्मानीय सदस्यगणों के प्रति आभार प्रदर्शन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

17/8

(मुजीबुर्रहमान खान)
कार्यपालन संचालक, एप्को एवं
सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण